



प्रेस नोट

थाना बिवांर पुलिस द्वारा अवैध कच्ची शराब व शराब निर्माण उपकरण सहित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण व बिक्री के रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बिवांर पुलिस द्वारा ग्राम महेरा में नदी के किनारे छापेमारी कर अवैध कच्ची शराब का निर्माण व बिक्री करने वाले अभियुक्त दशरथ पुत्र बुद्धा को उसके कब्जे से 30 लीटर अवैध कच्ची शराब तथा शराब बनाने के उपकरण बरामद करते हुए गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना बिवांर में मु०अ०सं० 83/2024 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

दशरथ पुत्र बुद्धा निवासी ग्राम महेरा थाना बिवांर जनपद हमीरपुर।

बरामदगी का विवरण:-

अभियुक्त के कब्जे से 30 लीटर अवैध कच्ची शराब तथा शराब बनाने के उपकरण बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० तीर्थराज पाण्डेय
2. उ०नि०(UT) दिशान्त खोखर
3. उ०नि०(UT) गौरव शुक्ला
4. उ०नि०(UT) सत्यम प्रकाश
5. का० हरिनन्दन सिंह
6. म०का० अंजुली सिंह

